

सं.ए-49012/112/2022-स्थापना (सहकारिता)

[E-118480]

भारत सरकार

सहकारिता मंत्रालय

अटल अक्षय ऊर्जा भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,

लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 9 अप्रैल, 2024

परिपत्र

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण , प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' में निहित प्रावधानों के अनुपालन में और इस मंत्रालय के दिनांक 13 जनवरी, 2023 के समसंख्य कार्यालय आदेश के क्रम में, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एक 'आंतरिक परिवाद समिति (ICC)' का पुनर्गठन किया गया है। ICC के सदस्यों की संरचना और संपर्क विवरण नीचे दिया गया है: -

क्रम सं.	नाम	सदस्य	सम्पर्क विवरण	ई-मेल
1	श्रीमती विमलेश असवाल, PSO	पीठासीन अधिकारी	9968733698	vimleshaswalcwc@nic.in
2	सुश्री धिया एन्न मैथ्यू, राष्ट्रीय महासचिव, YWCA	सदस्य (एनजीओ प्रतिनिधि)	9895329919	ngs@ywcaindia.org
3	श्रीमती, अनामिका चाचरा, सहायक अनुभाग अधिकारी	सदस्य	9868887500	anamika.chachra@gov.in
4	श्री सौरभ मिश्रा, अवर सचिव	सदस्य	9999236427	saurabh.m@nic.in

2. आंतरिक परिवाद समिति महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण , प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013' के प्रावधान के तहत आवश्यक मानी जाने वाली शिकायतों की जांच करेगी और सिफारिशें देगी। समिति पीड़ित महिला कर्मचारियों द्वारा की गई परिवेदना /शिकायतों के समय पर निवारण के लिए जिम्मेदार होगी ।

एसडी/-

(जतेन्द्र सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 20849147

नोटिस बोर्ड (ई-ऑफिस)/सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट